

न्यायालय अंचल अधिकारी , तमाड़ (राँची)

(देखे अभिलेख हस्तक नियम 129)

विषय - सिमांकन के संबंध में।

अभिलेख संख्या - 6114-15

दिनांक	पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं आदेश	अभियुक्ति								
22-4-14	<p>आवेदक <u>कृष्ण सिंह साहू</u></p> <p>पिता / पति - <u>खैरन साहू</u> ग्राम - <u>धुं 5 पट्टी 2</u></p> <p>पोस्ट <u>जानगी</u> थाना - <u>नवादा</u></p> <p>जिला - राँची, ने सिमांकन हेतु आवेदन दिया है। जिस हल्का कर्मचारी / अंचल निरीक्षक के माध्यम से जाँच में दे।</p> <p>जमीन का विवरण</p> <table border="0"> <tr> <td>मौजा</td> <td>खाता सं०</td> <td>प्लॉट सं०</td> <td>रकबा</td> </tr> <tr> <td><u>जानगी</u></td> <td><u>6</u></td> <td><u>384</u></td> <td><u>0 3 50</u></td> </tr> </table>	मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा	<u>जानगी</u>	<u>6</u>	<u>384</u>	<u>0 3 50</u>	<p align="right"><i>[Signature]</i> अंचल अधिकारी तमाड़</p>
मौजा	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा							
<u>जानगी</u>	<u>6</u>	<u>384</u>	<u>0 3 50</u>							
25-4-14	<p>अभिलेख उपस्थापित हल्का कर्मचारी एक अंचल निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन अभिलेख में सलग्न है।</p>	<p align="right"><i>[Signature]</i> अंचल अधिकारी तमाड़</p>								
27-5-14	<p>अभिलेख उपस्थापित अमिन फीस <u>304</u> रु० अंचल नाजीर को जमा करें। सिमांकन हेतु दिनांक.....को अंचल अमिन प्रतिनियुक्त करें एवं नोटीस निर्गत करें।</p>	<p align="right"><i>[Signature]</i> अंचल अधिकारी तमाड़</p>								